

29/5/17

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक ने NR
खंख्या $\frac{JE}{02}$ -202599 दिनांक 12-05-17 द्वारा जमीन
मापी शुल्क मं. 1500-00 (एक हजार पांच सौ)
रुपये नजारात में जमा किया।

अतः आवेदित भूमि का मापी
द्वारा अंमल जमीन को आदेश निर्गत करने
द्वारा मापी प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर मांग
को। मापी की तिथि 12-06-2017 को निर्धारित
की जाती है।

~~अंमल जमीन~~
~~कोरस~~

19/06/17
20/06/17

अभिलेख उपस्थापित। अंमल जमीन
द्वारा निर्गत करने के पश्चात मापी प्रतिवेदन
प्राप्त है। प्रतिवेदनानुसार माला खुद के
खाता नं-52 प्लॉट नं-153 रकबा 1.16 ए०
भूमि का आवेदक विपरीत एवं अन्य
जमीनी के उपस्थापित से दिनांक 12-06-17
को मापी किया गया एवं कुल 1.16 एकड़
भूमि का वर्तमान मानचित्र से मापीकर
निर्दिष्ट कर पत्र गइया दिया गया है।
रकबा 1.16 ए० में 0.80 ए० भूमि पर
आवेदक श्री वैजनाथ मधो जाम खुद का
दखल कब्जा एवं जोत है। रकबा 0.26 ए०
भूमि पर मनु मधो एवं लल्लु मधो -
पिता-विपरीत मधो का दखल है जिसपर
रकबा 0.02 ए० पर कुआँ है ; 0.04 ए०
पर मिट्टी का मकान एवं 0.20 ए० पर नदी है।

कक्षा 0.10 ए. भूमि पर मुख्यतः मद्यो वर्ग
पिता-लोकन मद्यो के दखल अंत में है।
कुल मिलाकर 0.36 ए. भूमि पर विपरीत
का, आवेक के बन्दोबस्ती जमीन पर
अवैध रूप से दखल प्रतिवेदित है।
अभिलेख की कारवाई बंद की
जाती है।

~~अंचल अधिकारी
कलकत्ता~~